

फर्द अहकाम



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

भवरी देवी वगै०

बनाम

ग्यारसा वगै०

— 350 / 2024

क्र आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 लगायत 8 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार ने अपने पत्रांक/ आर. टी./2025/367 दिनांक 15.05.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 21.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर</p>	
2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 878/504 रकबा 0.6700 है०, खसरा नम्बर 880/613 रकबा 0.4100 है० ग्राम बहलोड, पटवार हल्का बहलोड, तहसील आंधी, जिला जयपुर की चारों तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम बहलोड, पटवार हल्का बहलोड, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 878/504 रकबा 0.6700 है०, खसरा नम्बर 880/613 रकबा 0.4100 है० में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में वेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते हैं तो उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी (ललित भोनी) जमवारामगढ़ जिला-जयपुर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p>	